



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-23022026-270421
CG-UP-E-23022026-270421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 910]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2026/फाल्गुन 4, 1947

No. 910]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2026/PHALGUNA 4, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 954(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इस से उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पूर्वोत्तर रेलवे की विशेष रेल परियोजना, उत्तर प्रदेश राज्य में जिला—गोण्डा, के मनकापुर—टिकरी साथ में वाई कनेक्सन मनकापुर (झिलाही—टिकरी) के मध्य (28.37 किमी०) दोहरीकरण रेल लाईन परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोण्डा उत्तर प्रदेश को, लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की

सुनवाई करने तथा ऐसी कोई जाँच, जिसे वह उपयुक्त समझे, करने के पश्चात्, अपने आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ (3) के अनुसार, धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पूर्वोत्तर रेलवे की विशेष रेल परियोजना, उत्तर प्रदेश राज्य में गोण्डा के मनकापुर-टिकरी साथ में वाई कनेक्शन मनकापुर (झिलाही-टिकरी) के मध्य (28.37 किमी०) दोहरीकरण रेललाईन परियोजना के लिए, अर्जित की जाने वालीभूमि का संरचना सहित या उसके रहित, संक्षिप्त विवरण:—

जिला-गोण्डा, राज्य-उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	जिला	तहसील	गाँव का नाम	प्लॉट सं०	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमिअधिग्रहण के लिए प्रस्तावितभूमि(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	860	0.4	0.058
2	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	866	0.104	0.008
3	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	867	0.228	0.009
4	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	868	0.656	0.054
5	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	876	2.311	0.050
6	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	877	1.149	0.002
7	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	878	0.296	0.043
8	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	883	0.101	0.009
9	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	884	1.101	0.007
10	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	885	0.102	0.009
11	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	886	0.309	0.022
12	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	887	0.264	0.025
13	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	888	0.144	0.009
14	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	889	0.079	0.003
15	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	890	0.019	0.001
16	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	891	0.162	0.004
17	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	892	0.215	0.003
18	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	893	0.284	0.001
19	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1067	1.075	0.023
20	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1078	0.097	0.023
21	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1079	0.065	0.008
22	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1080	0.263	0.007
23	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1085	0.363	0.069
24	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1086	0.363	0.031
25	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1107	0.08	0.022
26	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1108	0.02	0.001
27	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1109	0.762	0.032

28	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1110	0.081	0.006
29	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1114	0.049	0.002
30	गोण्डा	तरबगंज	गौरिया	1115	0.53	0.002
				योग	9.572	0.539
			कुल योग		9.572	0.539

[फा. सं. W/Con/247/GD/DL/MUR-TRE/Tarabganj/LA]

अभय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 23rd February, 2026

S.O. 954(E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) & Railway Amendment Act 2008 (11 of 2008) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, situated at District-Gonda of the state of Uttar Pradesh, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the special railway project, namely Mankapur - Tikri with Y-Connection at Mankapur (Jhilahi - Tikri) Doubling Project (28.37 KM) Special Railway Project of North Eastern Railway, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under Section 20D sub section (1) of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority/Special Land Acquisition Officer District-Gonda Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order by the Competent Authority under subsection (2) of Section 20D of the said Act shall be final u/s 20D subsection (3).

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District-Gonda of the State of Uttar Pradesh for Mankapur - Tikri with Y- Connection at Mankapur (Jhilahi-Tikri) Doubling Project (28.37 KM) of North Eastern Railway.

District- Gonda

State-Uttar Pradesh

Sr. No.	District	Tahsil	Name of the Village	Plot No.	Total Area(in hectares)	Land Proposed for Acquisition (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gonda	Tarabganj	Gauriya	860	0.4	0.058
2	Gonda	Tarabganj	Gauriya	866	0.104	0.008
3	Gonda	Tarabganj	Gauriya	867	0.228	0.009
4	Gonda	Tarabganj	Gauriya	868	0.656	0.054

5	Gonda	Tarabganj	Gauriya	876	2.311	0.050
6	Gonda	Tarabganj	Gauriya	877	1.149	0.002
7	Gonda	Tarabganj	Gauriya	878	0.296	0.043
8	Gonda	Tarabganj	Gauriya	883	0.101	0.009
9	Gonda	Tarabganj	Gauriya	884	1.101	0.007
10	Gonda	Tarabganj	Gauriya	885	0.102	0.009
11	Gonda	Tarabganj	Gauriya	886	0.309	0.022
12	Gonda	Tarabganj	Gauriya	887	0.264	0.025
13	Gonda	Tarabganj	Gauriya	888	0.144	0.009
14	Gonda	Tarabganj	Gauriya	889	0.079	0.003
15	Gonda	Tarabganj	Gauriya	890	0.019	0.001
16	Gonda	Tarabganj	Gauriya	891	0.162	0.004
17	Gonda	Tarabganj	Gauriya	892	0.215	0.003
18	Gonda	Tarabganj	Gauriya	893	0.284	0.001
19	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1067	1.075	0.023
20	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1078	0.097	0.023
21	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1079	0.065	0.008
22	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1080	0.263	0.007
23	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1085	0.363	0.069
24	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1086	0.363	0.031
25	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1107	0.08	0.022
26	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1108	0.02	0.001
27	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1109	0.762	0.032
28	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1110	0.081	0.006
29	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1114	0.049	0.002
30	Gonda	Tarabganj	Gauriya	1115	0.53	0.002
				Total	9.572	0.539
			Grand Total		9.572	0.539

[F. No. W/Con/247/GD/DL/MUR-TRE/Tarabganj/LA]

ABHAY KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer/Construction